**संख्या-94/2019/1499/22-2-2019-17(862)/2019**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2019***

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीपाल पुत्र श्री अधीन लोध, निवासी जनपद- सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-551/प्रोबे0-5-द0या0(बैठक-20.11.2018) दिनांक 08.01. 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी श्रीपाल पुत्र श्री अधीन लोध, जो-बटहुआ, थाना-सकरन जिला-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पहले पति को छोडकर दूसरे के साथ रहने लगी जिससे दो बच्चें पैदा हुए बाद में तीसरे के साथ रहने लगी दूसरा पति दिनांक 21/22.05.1996 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका से मारकर 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-952/1996 धारा-302/34,307/34 आई0पी0 सी0 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02 सीतापुर के आदेश दिनांक 30.10.2012 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.08.2018 तक 06 वर्ष 01 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 00 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बंदी की आयु लगभग 65 वर्ष होने, एवं पुन: अपराध कारित कर गातिविधियों में लिप्त हो जाने की पूर्ण सम्भावना होने, तथा समयपूर्व रिहाई उचित नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने को हित कर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी श्रीपाल (बंदी संख्या-348/2012) पुत्र श्री अधीन लोध, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

**संख्या-94/2019/1499(1)/22-2-2019 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in